फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी श्री [illegible] बनाम विपक्षी श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 39 / 23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. का पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वसीयत के आधार पर घोषणात्मक राहत चाही गई है जिसकी जांच सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है जो धारा 135(2) भू. राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार को अधिकार प्रदान है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को तहसीलदार भीण्डर को लौटाया जाकर धारा 135(2) भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच कर वसीयत के आधार पर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने पाया की वादी द्वारा एक वाद 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार मांडी बाई पत्नी रामा जणवा के नाम दर्ज भूमि को वसीयत दिनांक 25.07.2008 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. का पेश कर प्रकरण को तहसीलदार भीण्डर को लौटाया जाकर धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर जांच कराये जाकर नियमानुसार भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। प्रकरण न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ हैं जिसका क्षैत्राधिकार न्यायलय हाजा को हैं। तहसीलदार भीण्डर को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिससे प्रकरण को तहसीलदार भीण्डर को प्रतिपेषित नहीं किया जा सकता। वादी तहसीलदार भीण्डर के समक्ष अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. का आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है की उक्त प्रकरण को अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर पक्षकारान को सुन कर साक्ष्य सबुत के आधार पर निर्णय पारित करें। वादी द्वारा पत्रावली में इस न्यायालय से कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:44:03 IST
Reason: SelfAttested